

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानू/शैक्षिक/एफ.ए.14/2018-19/64

दिनांक- 11 सितंबर 2018

अधिसूचना

विषय : अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय हेतु प्रबंधन बोर्ड का गठन - आदेश जारी होने के संबंध में।
संदर्भ : 1. दिनांक- 20.11.2017 को हुई कार्यकारी परिषद की संकल्प सं. 57.3(24);

कुलपति महोदय द्वारा अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय (डीटीपी) हेतु प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | कुलपति या नामांकित | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय | सदस्य |
| 3. | विभागाध्यक्ष, अंग्रेज़ी विभाग | सदस्य |
| 4. | विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग | सदस्य |
| 5. | कुलपति द्वारा मनोनीत दो प्रोफेसर | सदस्य |
| 6. | प्रकाशन कार्य के साथ जुड़े एक बाह्य विशेषज्ञ को कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाना | सदस्य |
| 7. | निदेशक, अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय | सदस्य-संयोजक |

2. प्रबंधन बोर्ड निम्नलिखित मुख्य कार्य के लिए उत्तरदायी है :-

- (क) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नियमित और दूरस्थ पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री के प्रकाशन, मुद्रण, तैयार करने के संबंध में अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय की गतिविधियों को देखना और लक्ष्य निर्धारित करना।
- (ख) आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री हेतु विषय-वस्तु में विकास/ वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय को सलाह देना।
- (ग) अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय की गतिविधियों का शैक्षिक परिषद में प्रस्तुतिकरण और वार्षिक प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
- (घ) अनुवाद और प्रकाशन निदेशालय के कार्य से संबंधित कोई भी अन्य संबद्ध मामलें।

3. प्रबंधन बोर्ड तिमाही में एक बार बैठक करें या जब आवश्यक हो।

4. इस अधिसूचना को जारी की गई तिथि से पदेन सदस्यों को छोड़कर प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि तक होगा।

११/०९/१८
सहायक कुलसचिव
(शैक्षिक)

प्रति :-

1. सभी सदस्य।
2. कुलपति/सम कुलपति/कुलसचिव कार्यालय।
3. निदेशक, डीटीपी / निदेशक, डीडीई।
4. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र- यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अधिसूचना को अपलोड करने हेतु।
5. जनसंपर्क अधिकारी/ हिन्दी अधिकारी - उर्दू व हिन्दी अनुवाद हेतु।
6. संबंधित मिसिल।